

न्यायालय:- सहायक कलेक्टर सांघोर [ उपखंड अधिकारी ] सांघोर

ब डलस:- श्री मुरारीलाल शर्मा R.A.S.

वाद संख्या :- 42/17

**बनाम**

**वादी**  
**प्रतिवादीगण**

1. सरपंच ग्राम पंचायत लाछीवाड

रामभारती चंला कन्हैयाभारती

2. ग्रामसेवक ग्रामपंचायत लाछीवाड

कौम - सन्यासी, निवासी -

3. राज. सरकार जस्ये तहसीलदार

निवासी - लाछीवाड

तहसील- सांघोर, जिला - जालोर

सांघोर

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

**निर्णय**

दिनांक 21-03-18

**उपस्थित :-** वादी की तरफ से वकील श्री प्रकाश चन्द्र पुरोहित तथा नेपाल सिंह देवडा

**:-** प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तरफ से वकील श्री भीमराज चौधरी

**:-** प्रतिवादी राज. सरकार की तरफ से राज परोकार राजि



1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है की वादी ने दिनांक 23-05-17 को एक दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लाछीवाड में मंदिर डोली बनाम मंदिर श्री निकलंगजी के नाम की खानदारी भूमि खेत खसरा नंबर 46 रकबा 6.34 हैक्टर, खसरा नंबर 84 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 85 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 86 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 87 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 88 रकबा 0.94 हैक्टर, खसरा नंबर 89

वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद स्वीकार कर इस अमर की स्थायी  
निर्णयना की डिक्ली बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण जारी की जाती  
है की वो-शाम लखीवाड में मंदिर डोली बनाम मंदिर श्री  
निकलंगजी के नाम की खातेदारी भूमि खेत खसरा नंबर 46 रकबा

साधारण  
कलेक्टर

3

### आदेश

3. यह है की प्रतिवादीगण द्वारा वाद स्वीकार करने की सहमती के  
पश्चात हमने वादी की बहस सुनी ! वादी वकील ने वाद के तथ्यों  
को दोहराते हुए वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ! हमने वादी  
वकील की बहस सुनी , तथा पचावली में मौजूद समस्त दस्तावेजों  
का वंशीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया ! उभय पक्षों की  
सहमति से मैं उक्त दावा स्वीकार करना उचित समझता हूँ !



2. उक्त दावा बाद रिपोर्ट दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये !  
जिस पर दिनांक 21-03-18 को प्रतिवादीगण की तरफ से वकील  
श्रीमराम चौधरी ने वकालतनामा पेश कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद  
स्वीकार करने में सहमती जाहिर की ! पैरोकार राज ने भी कोई  
आपत्ति नहीं होना जाहिर किया ।

जिसे जरिये स्थायी निर्णयना के रोका जावे !  
उक्त भूमि में जबरन शाम पंचायत भवन बनाने पर आमत है !  
! जिस पर मंडल वादी का कब्जा चला आ रहा है ! तथा प्रतिवादीगण  
379 रकबा 0.80 हेक्टर जर्मने रकबा 71.35 हेक्टर की आयी हुई है  
12.02 हेक्टर, खसरा नंबर 378 रकबा 0.32 हेक्टर, खसरा नंबर  
खसरा नंबर 106/468 रकबा 0.65 हेक्टर, खसरा नंबर 377 रकबा  
नंबर 91 रकबा 0.64 हेक्टर, खसरा नंबर 92 रकबा 1.32 हेक्टर,  
रकबा 48.13 हेक्टर, खसरा नंबर 90 रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा

सहायक कलेक्टर  
M.L. Sharma  
22-3-8

करवीं।  
खुले न्यायालय में सुनाया गया ! खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन  
में तो स्वयं करे एवं न ही किसी अन्य से निर्माण करावे ! निर्णय  
में किसी प्रकार का पंचायत भवन या अन्य किसी प्रकार का निर्माण  
उपयोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे ! तथा उक्त भूमि  
अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करे ! तथा वादी के उपयोग एवं  
नंबर 379 रकबा 0.80 हैक्टर जुमले रकबा 71.35 हैक्टर में  
रकबा 12.02 हैक्टर, खसरा नंबर 378 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा  
हैक्टर, खसरा नंबर 106/468 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नंबर 377  
खसरा नंबर 91 रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नंबर 92 रकबा 1.32  
नंबर 89 रकबा 48.13 हैक्टर, खसरा नंबर 90 रकबा 0.13 हैक्टर,  
87 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 88 रकबा 0.94 हैक्टर, खसरा  
रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 86 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर  
6.34 हैक्टर, खसरा नंबर 84 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 85

